

401 तादादी 8.85 हैक्टेयर हो गये। आगे कथन किया कि खसरा नंबर 190 सुखलाल की नाम की भूमि थी जो उसकी स्वअर्जित सम्पति थी। हर खातेदार को अपने स्वअर्जित खातेदारी अधिकारों की भूमि को वसीयत करने का अधिकार होता है। चूंकि सुखलाल ने अपने जीवनकाल में अपने खातेदारी खेत की वसीयत कर दी थी। इसलिये वादगत खेत पैतृक सम्पति नहीं है। वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। इसलिये वादगत खेत अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वअर्जित सम्पति की तारीफ में आती है। इसलिये धारण करने वालों को हर प्रकार से सम्पति को हस्तान्तरण करने का अधिकार होता है। खोतोनी बंदोबस्त में खसरा नंबर 190 तादादी 104 बीघा 19 बीस्वा की खातेदारी सुखलाल के नाम दर्ज थी। इस खेत की खातेदारी सुखलाल से पूर्व उसके पिता के नाम हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया गया है। इंतकाल संख्या 553 सुखलाल की मृत्यु के बाद उसकी वसीयत के आधार पर खोला जाकर वसीयत के मुताबिक सुखलाल के पुत्रों केवलचन्द, तेजकरण व रूपचन्द के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। रूपचन्द के हिस्से में 35 बीघा की खातेदारी का नामान्तरण दर्ज हुआ है जिसका खसरा नंबर 190/3 दर्ज हुआ है। जिसके सेटलमेन्ट संवत् 2061 के दौरान खसरा नंबर 401 तादादी 8.85 हैक्टेयर कायम हुए हैं। वादगत खेत की खातेदारी सुखलाल से पूर्व उसके पिता के नाम होने का कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने से वादगत भूमि सुखलाल की पैतृक जमीन नहीं मानी जा सकती। हर खातेदार को अपनी खातेदारी जमीन की वसीयत करने का अधिकार होता है। सुखलाल अपनी खातेदारी जमीन की ही वसीयत की है। वादगत सम्पति वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थी का इसमें स्थगन प्राप्त करने का हक नहीं बनता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट बाबत खसरा नंबर 401 तादाद 8.85 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिला दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।



(Signature)

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)
श्रीडूंगरगढ